वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव–नियम–41

प्रोजेक्ट का विवरण: कोसी नदी

(क) प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण तथा प्रोजेक्ट हेतु वन भूमि की आवश्यकता:–

बरसात में पहाड़ी नदी से जो बजरी, बोल्डर, रेता आदि उपखनिज बहकर आता है, वह नदी की तलहटी में जमा हो जाता है, जिसकी निकासी न होने के कारण नदी की तलहटी धीरे–धीरे ऊपर आ जाती है और नदी की धारा का रूख परिवर्तित हो जाता है नदी का रूख परिवर्तित होने के कारण भू–कटाव अधिक मात्रा में होता है जिससे वन एवं वन्यजीवों के आवास स्थलों के साथ–साथ आस–पास स्थित गांव के आवासी क्षेत्रों को भी खतरा उत्पन्न होने की आशंका होती है। अतः नदी के किनारे के भू–क्षरण एवं जल प्रवाह को नियंत्रित रखने की दिशा में नदी के तलहटी में जमा उपखनिजों की निकासी किया जाना प्राविधिक दृष्टि से नितान्त आवश्यक है।

कोसी नदी में भी प्रत्येक वर्ष बरसात में भारी मात्रा में उपखनिज एकत्रित होता है। यदि कोसी नदी के क्षेत्र से उपखनिज की निकासी नहीं की जाती है तो क्षेत्र के तलहटी में निरन्तर उपखनिज जमा हो जाने के कारण कोसी नदी की धारा का रूख बदलने और नदी के किनारे में स्थित आबादी के क्षेत्रों को बाढ़ से प्रभावी होने की सम्भावना बनी रहेगी। सम्भवतः इसी कारण गत वर्षो से निरन्तर इस क्षेत्र से उपखनिज की निकासी समय–समय पर प्रभावी नियम एवं शासनादेशों के अन्तर्गत की जाती रही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के पश्चात् इस क्षेत्र से उपखनिज चुगान के लिए भारत सरकार का अनुमोदन 10 वर्ष की अवधि हेतु प्राप्त हुआ है जिसकी अवधि 14 फरवरी 2023 में समाप्त हो रही है। राज्य सरकार ने अपनी खनिज नीति के तहत उक्त नदी में उपखनिज निकासी हेतु आगामी 10 वर्षो हेतु आशय पत्र दिया है, अतः आगामी 10 वर्षो की अवधि विस्तारित हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज की श्रेणी निर्माण कार्य में बहुत ही उपयुक्त है। उपखनिज का चुगान परिवहन तथा इस आधारित उद्योगों (क्रेशर आदि) में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हजारों लोग कार्यरत है और करीब 8,000 से 10,000 ग्रामीण/श्रमिकों को उक्त चुगान कार्यो से प्रति वर्ष माह अक्टूबर से मई तक रोजगार प्राप्त हो सकता है और इस क्षेत्र में रॉयल्टी वन विभाग का अभिवहन शुल्क, जी0एस0टी0 आयकर आदि के मद में प्रत्यक्ष में शासन को लगभग रू0–28.00 से 30.00 करोड़ रूपये की राजस्व प्रति वर्ष प्राप्त होता रहा है। क्षेत्र के विकास के लिए यह उद्योग एक महत्वपूर्ण आधार है।

उपखनिज की निकासी केवल मानव श्रम के चुगान द्वारा ही की जायेगी। अतः वन सम्पदा व अन्य सार्वजनिक या किसी निजी सम्पत्ति को क्षति होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त वन सम्पदा सार्वजनिक निर्माण एवं पर्यावरण के हितों को दृष्टिगत रखते हुए चुगान की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

- उपखनिज प्राकृतिक कारणों से नदी की तलहटी में एकत्रित होता है जो कि आरक्षित वन क्षेत्र में है। अतः इस कार्य के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर चुगान कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
- वनों का घनत्व –शून्य हैं।
- प्रजातिवार व्यासवार वृक्षों का विवरण –शून्य हैं।
- भू–क्षरण से खतरा –यह परियोजना वन भूमि में भू–क्षरण/कटाव को नियंत्रित करने के लिए बनाई जा रही है।
- क्या यह क्षेत्र नेशनल पार्क/वन्यजन्तु विहार आदि का भाग तो नहीं हैं। –नहीं हैं।
- प्रस्तावित वन भूमि का मदवार विवरण

2. कृषि उपज – रिक्त
3. सड़कें – रिक्त
4. मैदान – रिक्त
5. बैरन(रोखड़) – कोसी 181.00 है0

- क्या इसमें वनस्पति अथवा वन्य जीवों की ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जिसके विनाश का संकट हो सकता है -- नहीं है।
- क्या यह क्षेत्र वन्यजन्तुओं का प्रजनन या इमीग्रेशन या उनके पुनरोत्पादन का स्थान तो नहीं हैं। –नहीं है।

(ख) खनन पट्टे सम्बन्धी प्रस्ताव का विवरण:–

- कुल खनन पट्टा क्षेत्र में वन भूमि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल 181.00 है0 (लेकिन वास्तविक चुगान कार्य नदी के मध्य भाग में केवल 90.50 है0 में ही होगा)।

Scanned with CamScanner

- खनन पट्टा कितने वर्ष के लिए प्रस्तावित है–उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के प्राविधानों के अन्तर्गत समय–समय निर्गत शासनादेशों के द्वारा पट्टे की अवधि एंव प्रकार निर्धारित किये जाते है।उपखनिज के चुगान के लिए 10 वर्ष की अवधि विस्तारण हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है
- खनिजवार खनिज का भण्डार–क्षेत्र में रेता, बजरी, बोल्डर एवं दड़ा/आर0बी0एम0 प्रतिवर्ष बरसात में एकत्र होता है और चुगान हेतु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत बजरी, 20 प्रतिशत रेता, 30 प्रतिशत बोल्डर उपलब्ध है। प्रस्तावित क्षेत्र में 50 प्रतिशत क्षेत्र में चुगान प्रस्तावित है, जिसमें केवल 3.0 मी0 गहराई तक प्रति वर्ष 13.50 लाख टन उपखनिज पाये जाने की सम्भावना है।

(वन क्षेत्र का विवरण:–

क्र0सं0	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (है0)
1	2	3	4	5
1	नैनीताल	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर	कोसी नदी	181.00 है0

(ग) प्रोजेक्ट का कुल मूल्य (लाख में):– 50,700.00 रू0

(घ) वन क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाने का औचित्य– उपखनिज प्राकृतिक कारणों से वन क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी में एकत्रित है। अतः चुगान के लिए वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

(ड) वित्तीय एवं सामाजिक लाभ:–

- नदी के किनारे में स्थित आबादी की सुरक्षा।
- नदी तटों के कटान का नियंत्रण।
- जल प्लावन आदि की समस्या का निराकरण।
- आस–पास के स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार एवं जीविका के साधन उपलब्ध कराना।
- रॉयल्टी, अभिवहन शुल्क, जी0एस0टी0, आयकर आदि के मद में शासन के राजस्व में वृद्धि।

(च) प्रोजेक्ट से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या–प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 8,000 से 10,000 व्यक्तियों के लाभान्वित होने की सम्भावनायें है।

(छ) प्रोजेक्ट से सम्बन्धित रोजगार की सुविधा:–

- क्षेत्र में उपखनिज चुगान में लगभग 3000 हजार श्रमिकों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त उपखनिजों की आपूर्ति स्टोन क्रेशर एवं अन्य इससे सम्बन्धित विकास कार्यो में किया जायेगा।
- प्रोजेक्ट की स्थिति– तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत कोसी नदी।
- प्रोजेक्ट की विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग की आने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल– तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अन्तर्गत रामनगर रेंज में बहने वाली कोसी नदी 181.00 है0 क्षेत्र के लिए अनुमोदन प्रस्तावित है। जिसमें वास्तविक चुगान केवल 50 प्रतिशत क्षेत्र में प्रस्तावित है। भूमि में नदी के बहाव की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वन सम्पदा एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए शेष 50 प्रतिशत भूमि चुगान कार्य हेतु प्रतिबन्धित रहेगा।
- प्रश्नगत वन भूमि का विवरण –प्रस्तावित भूमि तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल) की रामनगर रेंज के अन्तर्गत कोसी नदी का तट क्षेत्र है।
- वन भूमि की वैधानिक स्थिति –आरक्षित वन क्षेत्र।
- वन क्षेत्र की वनस्पति की स्थिति –भूमि वृक्ष विहीन है।

(ज) प्रस्तावित उत्पादन– प्रस्तावित कोसी नदी तल से 3.0मी0 गहराई तक उपखनिज का चुगान आसानी से किया जा सकता है। प्रस्तावित कोसी नदी क्षेत्र में से 50 प्रतिशत क्षेत्र उपखनिज का चुगान प्रस्तावित है और 3.0 मी0 गहराई तक चुगान करने से लगभग 44,66,000.00 टन, प्रति वर्ष उपखनिज की प्राप्ति हो सकती है। अतः भविष्य में लगभग 44,66,000.00 टन, प्रति वर्ष उपखनिज प्रतिवर्ष चुगान सम्भावित है।

(झ) भूमि पुनः वनीकरण करने हेतु समयबद्ध योजना– प्रस्तावित भूमि नदी तट क्षेत्र है जो वृक्ष विहीन है। अतः प्रस्तावित भूमि पर पुनः वनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। नदी के किनारे के रिक्त क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार वनीकरण किया जा सकता है।

- क्षेत्र का ढाल –नदी का ढाल संकेन्द्रित रहेगा जिससे उपखनिजों के चुगान से नदी जल बहाव के दोनों ओर स्थित आरक्षित वन भूमि नदी कटाव से सुरक्षित रहेगा।

(ञ) खनन में प्रयुक्त होने वाले श्रमिकों की संख्या– क्षेत्र में कोई नियमित खनन प्रस्तावित नहीं है ,उपखनिज के चुगान/क्रेशर संचालन/परिवहन आदि अन्य कार्यों में लगभग 06 से 08 हजार मजदूरों को रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है।

Scanned with CamScanner

(ट) वन विभाग की आवश्यकता– वन क्षेत्र होने के कारण प्रतिबन्धित वन क्षेत्रों में नियंत्रण एवं वन क्षेत्रों में उपखनिज निकासी हेतु अभिवहन मार्ग के संचालन/स्थापना हेतु वन विभाग का सहयोग आवश्यक होगा। उपखनिजों की बिक्री से सरकार को करोड़ों रू0 के राजस्व की प्राप्ति होगी।

(ठ) तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज में आने वाली कोसी नदी 181.00 है0 क्षेत्र है। जिसका मानचित्र संलग्न है। भारत सरकार से अनुमोदन हेतु प्रस्तावित चुगान क्षेत्र केवल 50 प्रतिशत भाग में ही होगा।

(ड) प्रस्तावित कार्य वन क्षेत्र के बाहर न किये जाने के कारण– प्रस्तावित नदी क्षेत्र आरक्षित वन भूमि में स्थित है, तथा इसके अलावा अन्य कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं है।

(ढ) खनन कार्य से वृक्ष आदि को होने वाली अनुमानित क्षति –चूंकि प्रस्तावित क्षेत्र नदी तट व वृक्ष विहीन क्षेत्र है। अतः खनन कार्य से वृक्ष आदि को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है।

(ण) खनन क्षेत्र से स्थाई जल स्रोत, राज्य/राष्ट्रीय उद्यान एवं सैन्चुरी आदि की दूरी– चुगान हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के निकट कोई प्राकृतिक स्त्रोत स्थित नहीं है, तथा प्रस्तावित क्षेत्र से संरक्षित क्षेत्र की दूरी निम्न प्रकार है, जो कि आई0टी0रोल उत्तराखण्ड से सत्यापित कराई गई है:–

क्र0 सं0	प्रस्तावित परियोजना का नाम	केएमएल फाइल के जी0पी0एस0 प्वाइंट	वन्यजीव अभ्यारण/राष्ट्रीय पार्क/आरक्षित वन क्षेत्र	हवाई दूरी
1	कोसी खनिज क्षेत्र	79°07'31.52"E, 29°20'24.136"N	कार्बेट टाईगर रिजर्व की निकटतम सीमा से	6.0 किमी0
		79°07'29.898"E, 29°20'20.385"N	पवलगढ कन्जर्वेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से	2.6 किमी0
		79°07'31.52"E, 29°20'24.136"N	कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की निकटतम सीमा से	10.5 किमी0

(त) टाप सॉयल सुरक्षित रखने हेतु उपाय– प्रस्तावित क्षेत्र नदी तट क्षेत्र हैं। आस–पास के वन एवं कृषि भूमियों के टाप सॉयल के संरक्षण के लिये ही यह योजना प्रस्तावित है।

(थ) यदि भूमिगत खनन किया जाता है तो पानी, वन एवं अन्य वनस्पतियों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव एवं भूमि धसने की आशंका– प्रस्तावित योजना में भूमिगत खनन कार्य नहीं किया जाना है। इसमें मात्र श्रमिकों के द्वारा 3.0 मी0 गहराई तक मैनुअल चुगान किया जाना है। अतः पानी वन एवं अन्य वनस्पतियों पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

(द) लागत एवं लाभ विश्लेषण– प्रश्नगत परियोजना में शासन की कोई लागत सम्मिलित नहीं है इसके अतिरिक्त रॉयल्टी, वन विभाग का अभिवहन शुल्क, आयकर एवं जी0एस0टी0 के माध्यम से, शासन को लगभग 28 से 30 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ध) पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र– प्राप्त करना आवश्यक है अथवा नहीं यदि हाँ तो उसे प्राप्त किया गया है अथवा नही– पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से सत्र 2023 तक के लिये पर्यावरणीय स्वीकृत प्राप्त है। 2023 के उपरान्त 2023 से 2033 तक के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदित की जा रही है।

(न) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रतिकूल कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं –आवश्यकता नहीं

(प) अन्य कोई सूचना– नदी के तलहटी में लगातार उपखनिज एकत्रित होने के कारण नदी के बहाव में परिवर्तन, नदी किनारों का भू–क्षरण एवं नदी के किनारे स्थित आबादी को नुकसान की सम्भावना बनी रहती और नदी की तलहटी में एकत्रित उपखनिज की निकासी से नदी के जल बहाव के लिए अतिरिक्त स्थान मिलता है, जिससे नदी के दोनों तटों पर स्थित वन भूमि को कटान से बचाया जा सकेगा। क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज की आपूर्ति प्रदेश के अतिरिक्त बाहर के प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में किया जा सकता है, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रूपयों का राजस्व प्राप्त होगा। हजारों व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और आस–पास के वन क्षेत्रों का संरक्षण भी होगा। चुगान के कारण किसी भी प्रकार की वन सम्पदा या सार्वजनिक स्थानों को क्षति होने की सूचना नही है। लेकिन चुगान नहीं करने पर नदी बहाव क्षेत्र के परिवर्तन होने से आस–पास के वन क्षेत्रों में भू–कटाव से अत्यधिक हानि होने की सम्भावना है। अतः पर्यावरण हित/जनहित/राजकीय हित में उपखनिज का चुगान किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)।

Scanned with CamScanner